

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1350 / 2025 दिनांक : 02.04.2025

इस कार्यालय के पूर्व प्रसारित आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश/377/2025 दिनांक 05.02.2025 की निरन्तरता में श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ00297) विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा को दिनांक 16.02.2025 से 18.02.2025 तक 03 दिनों का उपार्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

श्री गुप्ता की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, भीलवाड़ा ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा के पद पर ही की गई।

आज्ञा से

रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

दिनांक : 02.04.2025

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/11/1998/

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा को उनके पत्रांक 11 दिनांक 19.02.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता (RJ00297), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-02, भीलवाड़ा।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005 कम-01, भीलवाड़ा।

सहायक रजिस्ट्रार 01/04/25